(4) यूनिकोड फॉन्ट्स Platform Independent होते हैं। विंडोज 95/98/2000/Xp-2003/विंडोज 2007 या लिनक्स अथवा अन्य किसी भी प्लेटफार्म जिसमें मोबाईल फोन भी सम्मिलित हैं, पर बिना किसी कठिनाई के प्रयुक्त किया जा सकता है।

(5) यूनिकोड फॉन्ट्स से हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में ई- मेल भेजना एवं इंटरनेटपर सामग्री-खोज इंजन एवं अन्य सभी वेब-बेस्ड कार्यों में भी प्रभावी रूप से तथा सरलता से प्रयुक्त किया जा सकता है।

यूनिकोड फॉन्ट्स की सार्वभौमिक स्वीकार्यता एवं पहुंच को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटर आधारित शासकीय पत्राचारों में, शासकीय वेबसाईट्स पर अपलोड की जानेवाली वेबसामग्री में तथा कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जाने वाले शासकीय दस्तावेजों में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए मानक रूप में यूनिकोड - फांट्स का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें जिससे नि:शक्तजनों तक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं एवं सुविधाओं की पहुँच सहजता से संभव हो सके।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु एक पृथक SPV (Special Purpose Vehicle) तैयार किया गया है जो कम्प्यूटर पर भारतीय भाषाओं में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भाषा-विज्ञान संसाधनों एवं फॉन्ट्स आदि का विकास करता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट http://tdil.mit-gov.in पर विजिट करें तथा पंजीयन पश्चात यहां से हिंदी एवं अन्य भाषाओं की नि:शुल्क सीडी प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान में मानव ओर मशीन के मध्य संपर्क का प्रमुख माध्यम **मानव की सुविधा** के स्थान पर **मशीन की सुविधा** पर अधिक निर्भर है। आपसी संपर्क के इस **मशीन-केन्द्रित** वातावरण को **मानव-केन्द्रित वातावरण में परिवर्तित करने की आवश्यकता** है ताकि कम्प्यूटर्स/आई.टी. की शक्ति का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके। आई.टी. के क्षेत्र में समावेशी विकास के इसी महती उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। कृपया समस्त विभाग/कार्यालय इन दिशा-निर्देशों का अक्षरश: परिपालन सुनिश्चित करें।

05/1/2013

(हरिरंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग